आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर रेलवे

नोटिस

'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना के तहत स्टॉल स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं:

क) स्टॉल: गाजियाबाद, मुज़फ्फरनगर और दिल्ली स्टेशन पर।

ख) ट्राली: शामली, परतापुर, टपरी, साहिबाबाद, तिलक ब्रिज, ओखला, असावटी, दिल्ली सफदरजंग, मंगोलपुरी, नया गाज़ियाबाद, मुरादनगर, विवेक विहार, दिल्ली आजादपुर, शिवाजी ब्रिज, देवबंद, शकूरबस्ती, बादली और फ़रीदाबाद स्टेशनों पर।

• गाजियाबाद और मुज़फ्फरनगर स्टेशन पर स्टॉल स्थापित करने की अवधि प्रति चरण में **90 दिन** होगी।

• उपरोक्त **(ख)** समूह के अंतर्गत दिए गए स्टेशनों पर ट्राली स्थापित करने की अवधि **30 दिन** होगी।

• **रजिस्ट्रेशन शुल्क** 2,000 रु. की दर से प्रत्येक तीस दिनों की अवधि के लिए हर बार अलग से लिया जाएगा और **NSG 4** (साहिबाबाद), **NSG 5** (बादली, मुरादनगर, शामली, ओखला, असावटी, दिल्ली सफदरजंग, मंगोलपुरी, टपरी, तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज, देवबंद, और विवेक विहार) **& NSG 6** (परतापुर, नया गाज़ियाबाद, दिल्ली आजादपुर) स्टेशनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क **1,000 रु.** की दर से प्रत्येक तीस दिनों की अवधि के लिए हर बार अलग से लिया जाएगा।

• **प्रतिभागी के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:**

क) विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा, या अपेक्षित राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगरों/बुनकर आईडी कार्ड धारक। **ख)** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम(एनएचडीसी)/खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)/गैर सरकारी संगठन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर सूक्ष्म उद्यमों के साथ पंजीकृत और सामाजिक संगठनों, राज्य सरकार के साथ निकायों आदि के साथ नामांकित/पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार। **ग)** पीएमईजीपी (प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूह। **घ)** समाज के हाशिए पर या कमजोर वर्ग। **ङ)** किसी भी अलग प्रतीक चिन्ह की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

• आवेदक को स्टेशन अधीक्षक को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह संकेत दिया जाएगा कि ट्रेन संचालन, यात्री सुरक्षा और रेलवे की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

• आवेदक द्वारा का आवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के बाद **26.12.2023, 15:00 बजे तक** स्टेशन अधीक्षक को संबोधित व जमा किया जा सकता है व उसी दिन खोला जाएगा।

• सभी अनुमोदित प्रतिभागियों का प्राथमिकता रोस्टर बनाने के लिए एसएस और स्टेशन प्रबंधक/अनुभागीय सीएमआई और नामांकित वित्त प्रतिनिधि द्वारा सभी अनुमोदित आवेदकों की उपस्थिति में स्टेशन पर आयोजित ड्रा के माध्यम से प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।

• **'एक स्टेशन एक उत्पाद'** योजना रेलवे बोर्ड वाणिज्यिक परिपत्र संख्याः 12/2022 एवं 09/2023 के तहत/अधीन मान्य होगी, उपरोक्त परिपत्र वेबसाइटः **www.indianrailways.gov.in** & URL: **https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2022/OSOP% 20Policy.pdf** और **https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2023/CC%20%2009%20of%202023** पर उपलब्ध है।

• इससे सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आवेदक संबंधित स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक या सीएमआई से संपर्क कर सकता है।

4007/23

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ